न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,
लखनऊ।

सेशन ट्रायल नं0– 1065/2019
आर.सी.–4(एस)/2019/सीबीआई/एससीबी/लखनऊ
धारा–147,149,329,364ए,386,394,411,420,467,468,
471,506,120बी. भा0द0सं0
एफ0आई0आर0 नं0– 810/2018

दिनांक 13.03.2023

अभियुक्त महेन्द्र कुमार सिंह द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–46 उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र बी–46 अभियुक्त महेन्द्र कुमार सिंह की ओर से उन्मोचन हेतु संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत की गई तृतीय पूरक आरोप पत्र में झूंठा फंसाया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में उल्लिखित आरोपो को यदि स्वीकार भी कर लिया जाय तो भी आवेदक अभियुक्त के विरूद्व किसी भी धारा में अपराध नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्त सह अभियुक्त नितेश मिश्रा की सी0ए0 फर्म में सहायक था। प्रस्तुत प्रकरण सी0बी0आई0 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर विवेचना प्राप्त हुई थी। पूर्व में स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट में आवेदक नामजद नहीं था और स्थानीय पुलिस द्वारा पूर्व में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाये गये थे कि करीब दो वर्ष पूर्व अतीक अहमद व उसके साथियों द्वारा दबाव बना कर उससे धन उद्वापित किया गया था। शुरू में शिकायतकर्ता ने उसको कुछ धनराशि दी थी तो अतीक अहमद ने उस पर दबाव नहीं बनाया परन्तु पिछले 4 माह से अतीक अहमद के दो साथी फारू ख व जकी उसको आपराधिक अभित्रास देने लगे और बल पूर्वक शिकायतकर्ता की कम्पनी में अपने नाम दर्ज करा लिया तथा जबरदस्ती शिकायतकर्ता का आफिस में कब्जे में ले लिया। अतीक अहमद द्वारा शिकायतकर्ता व उसकी बहन आरती जायसवाल के डिजीटल हस्ताक्षर भी प्राप्त किये फिर भी शिकायतकर्ता ने अपनी कम्पनी का कोई भी शेयर फारूख या जकी को स्थानान्तरित नहीं किया। दिनांक 26.12.18 को अतीक अहमद का एक साथी ने उसका अपहरण कर उसे उसकी फारच्यूनर कार से अतीक अहमद के पास देवरिया जेल ले जाया गया। वहॉ अतीक अहमद व उसके बेटे उमर एवं 10–12 लोग वहॉ पर उपस्थित थे, ने उसको बुरी तरह से मारा पीटा जिन्हें अतीक अहमद, जफरउल्ला व गुलाम सरवर कह कर बुला रहा था। उक्त मारपीट में शिकायतकर्ता के हाथ की उंगली टूट गयी थी और उसे बाहरी व आन्तरिक गम्भीर चोटे आई। इसके बाद अतीक अहमद ने शिकायतकर्ता की कम्पनी अपने साथियों मो0 फारूख व जकी अहमद के नाम जबरदस्ती स्थानान्तरित करवा लिया और उसकी फारच्यूनर कार भी बलपूर्वक छीन ली। अतीक अहमद व उसके साथियों ने शिकायतकर्ता से जबरदस्ती त्याग पत्र से सम्बन्धित कागजों पर हस्ताक्षर करवाये और उसकी बहन के भी बोगस हस्ताक्षर 15–20 सादे कम्पनी के लेटर हेड पर करवायें। सी0बी0आई0 द्वारा जो तृतीय पूरक आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया उसका अवर न्यायालय द्वारा संज्ञान पर्याप्त साक्ष्य न होने पर भी सरसरी तौर पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना लिया गया है। आवेदक शिकायतकर्ता के विरूद्व केवल कुछ दस्तावेजों को अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये है और इसके अलावा आरोप पत्र में लगाई गई अन्य धारायें पर आवेदक पर लागू नहीं होती है। शिकायतकर्ता व आरती जायसवाल के त्यागपत्रों को अतीक अहमद द्वारा शिकायतकर्ता पर दबाव बना कर देवरिया जेल के अन्दर ही दिनांक 26.12.2018 को ही हस्ताक्षर करा लिये गये थे जिन्हें अभियुक्त पवन कुमार सिंह को अभियुक्त जफरउल्ला द्वारा दिया गया था। जिसने उसे आवेदकअभियुक्त को वॉटसएप के माध्यम से भेजा था, जिसे सह अभियुक्त नितेश मिश्रा के आफिस कम्प्यूटर से डाउनलोड किया गया था। बाद में उसे अन्य सुसंगत फार्म के साथ आरओसी की वेबसाइट पर जकी अहमद और आवेदक की डिजीटल हस्ताक्षर से सत्यापन करने के बाद कम्पनी के निदेशक व

भागीदारों के नाम बदलने के सम्बन्ध में अपलोड किया गया था। अभियुक्त जकी अहमद व योगेश कुमार जो कि एम0जे0 गुप ऑफ कम्पनी के कर्मचारी थे, वे भी दिनांक 26.12.18 को उक्त फर्जी दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए आवेदक के कार्यालय में उपस्थित थे। जकी अहमद आवेदक के आफिस में कम्पनी के सभी निदेशको तथा अपने डिजीटल हस्ताक्षर और पहचान के साक्षियों के साथ आया था। जकी अहमद कम्पनी में दिनांक 28.09.18 से निदेशक था इसलिए सन्देह का कोई कारण नहीं था क्योंकि निदेशक स्वयं कार्यालय में वाकिंग क्लाइंट के रूप में उपस्थित था। जकी अहमद निदेशक द्वारा दस्तावेजों की सत्यता पर प्रमाण दिया गया था। कम्पनी में यदि कोई आन्तरिक विवाद चल रहा हो तो आवेदक को उस समय इस तथ्य की कोई जानकारी नही थी। उसके विरूद्व कोई साक्ष्य नहीं है और आवेदक अभियुक्त द्वारा किसी भी दस्तावेज की कोई कूट रचना नहीं की गई। उसके द्वारा जकी अहमद के निर्देश के अनुसार ही दस्तावेजों को अपलोड किया गया था। आवेदक द्वारा कम्पनी के किसी भी शेयर का स्थानान्तरण निष्पादित नहीं किया गया जिससे कम्पनी का स्वामित्व बदला जा सकता हो। आवेदक कभी भी एम0जे0ग्रुप के कार्यालय में नहीं गया। उसके द्वारा सद्भावना पूर्वक अपना व्यवसायिक कार्य किया गया था। उसके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये बिना ही अविधिक तरीके से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उस पर कोई भी अपराध नहीं बनता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया गया कि सम्बन्धित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अतीक अहमद द्वारा मोहित जायसवाल को डरा धमका कर पैसे की मांग किया और जब मोहित जायसवाल द्वारा मना कर दिया गया तब अभियुक्त अतीक अहमद के सहयोगी उसे उसकी गाडी सहित उठा कर देवरिया जेल ले गये और जहॉ अभियुक्त अतीक अहमद एवं उसके सहयोगियों द्वारा उसे डरा धमका कर मारा पीटा गया तथा मोहित जायसवाल को धमकाते व डराते हुए उसकी फर्मो को अपने सहयोगियों जकी अहमद व मो0 फारूख के नाम बलपूर्वक स्थानान्तरित करवा लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित हुई थी।

अभियुक्त आवेदक महेन्द्र कुमार सिंह और सह अभियुक्त पवन कुमार सिंह एक दूसरे को वर्ष 2014 से जानते थे। दिनांक 26.12.18 को सह अभियुक्त पवन कुमार सिंह देवरिया जेल में अन्य अभियुक्तगण के साथ उपस्थित था। उस दिन आवेदक और सह अभियुक्त पवन कुमार सिंह एक दूसरे के लगातार सम्पर्क में थे। सीडीआर के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 26.12.18 को पवन कुमार सिंह ने आवेदक के साथ कम से कम 19 बार बात की थी। उन दोनों के मोबाइल फोन को जांच हेतु एफएसएल गांधीनगर भेजा गया था। जिसकी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता की कम्पनियों से त्यागपत्र के सम्बन्ध में आवेदक अभियुक्त के मोबाइल फोन में कई चैट, पीडीएफ फाइल व इमेज फाइल प्राप्त हुई थी जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता व आरती जायसवाल के त्यागपत्र अभियुक्त पवन कुमार सिंह द्वारा आवेदक के मोबाइल पर भेजे गये थे। आवेदक के पॉलीग्राफ टेस्ट से भी यह स्पष्ट होता है कि उसको इस बात की जानकारी थी कि मोहित और आरती जायसवाल के त्याग पत्र पर उनके हस्ताक्षर बल पूर्वक लिये गये थे।

विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह सप्लीमेंटल एग्रीमेंट 5.11.2018 को निष्पादित होना दिखाया गया है और जिन नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स पर इसे निष्पादित होना दिखाया गया है, उक्त स्टैम्प पेपर दिनांक 22.11.18 को ही विक्रीत हुए थे। इन तथ्यों की पुष्टि सम्बन्धित अभिलेखों व सम्बन्धित स्टाम्प वेंडरो के बयानों से होती है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त सप्लीमेंटल एग्रीमेंट दिनांक 5.11.18 को नहीं बनाया गया था और फर्जी है। अभियुक्त अतीक अहमद के निर्देश पर ही उक्त फर्जी सप्लीमेंटर एग्रीमेंट के माध्यम से शिकायतकर्ता व उसकी बहन आरती जायसवाल की उक्त फर्म से उन्हें जबरदस्ती हटा दिया गया और मो0 फारूख व जकी अहमद को पूर्ण स्वामी बना दिया गया। आवेदक अभियुक्त द्वारा उक्त एग्रीमेंट पर दिनांक 26.12.18 को हस्ताक्षर किये गये उस पर जानबूझ कर उसने दिनांक नहीं अंकित किया

और उसको 5.11.18 को निष्पादित होना दिखाया। आवेदक द्वारा उसके पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान यह बताया गया कि उसके द्वारा ही शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल, आरती जायसवाल व मो0 फारूख के स्कैन हस्ताक्षर सप्लीमेंटल एग्रीमेंट पर पेस्ट किये गये थे। आवेदक अभियुक्त का उपरोक्त प्रकरण में अन्य सह अभियुक्तों के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल होना पाते हुए आरोप पत्र उपरोक्त वर्णित धाराओं में प्रस्तुत किया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा मामला सत्य पाते हुए पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्व पाया गया है और विवेचनोपरांत आरोप पत्र उपरोक्त वर्णित धाराओं में प्रस्तुत किया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सी0बी0आई0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अन्तर्गत धारा–147, 149, 329, 364ए, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी. भा0द0सं0 आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोप विरचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सम्बन्धित प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त महेन्द्र कुमार सिंह व नितेश मिश्रा एक ही कार्यालय में बैठते थे और अलग अलग कार्य करते थे। सी0बी0आई0 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि दोनों का आपस में सम्बन्ध था। आवेदक अभियुक्त के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से यह तर्क दिया गया कि आवेदक अभियुक्त पर जो डिजीटल सिग्नेचर व सम्बन्धित डिवाइस फेके जाने का जो आरोप है, सी0बी0आई0 द्वारा कोई भी साक्ष्य संकलित नहीं किया गया। यह भी तर्क है पॉलीग्राफ टेस्ट पर पूछे गये प्रश्न या पूछे गये प्रश्नों का उचित स्पष्टीकरण न दिया जाना साक्ष्य में सुसंगत नहीं है। उक्त आधार पर अभियुक्त पर आरोपित धाराओं का आरोप नहीं बनता है और उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि उन पर भा0द0सं0 की जो धारायें लगायी गई है, उनमें से किसी भी धारा के आवश्यक तत्व उसके विरूद्व प्रथम दृष्टया आकृषित नही हो रहे है लिहाजा उक्त धाराओं के आरोप उनके विरूद्व नहीं बनने चाहिए और यदि अभियोजन कथनाक को मान भी लिया जाय तो अधिकतम कम्पनी अधिनियम का मामला बनता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

सी0बी0आई0 की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त सह अभियुक्त नितेश मिश्रा चार्टड एकाउन्टेट का कर्मचारी था। घ ाटना के दिन दिनांक 26.12.18 को अन्य सह अभियुक्तों के द्वारा वादी मोहित जायसवाल को मारते–पीटते हुए तथा डराते धमकाते हुए जबरन वादी मुकदमा की चारों कम्पनियों से त्याग पत्र और अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों को प्राप्त कर सह अभियुक्त पवन कुमार सिंह द्वारा देवरिया जेल से आवेदक अभियुक्त महेन्द्र सिंह के मोबाइल पर वॉटसएप के माध्यम से प्रेषित किया जिसे सह अभियुक्त नितेश मिश्रा द्व ारा आरओसी के साइट पर अपने तथा सह अभियुक्त जकी अहमद के डिजीटल सिग्नेचर द्वारा अपलोड किया गया। इन दस्तावेजों के माध्यम से अभियुक्त जकी अहमद व मो0 फारूख द्वारा वादी मुकदमा की उपरोक्त चारों कम्पनियों का पूर्ण स्वामित्व ले लिया गया। आवेदक अभियुक्त अन्य अभियुक्तों के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहा है तथा उसके विरूद्व पर्याप्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें वादी मुकदमा मोहित जायसवाल का बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 द0प्र0सं0, शिकायतकर्ता व उसकी बहन की चारों कम्पनियों के स्वामित्व सम्बन्धी आरओसी कानपुर के दस्तावेज व अन्य साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। सी0बी0आई0 द्व ारा मामला सत्य पाते हुए पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्व पाया गया है और विवेचनोपरांत आरोप पत्र उपरोक्त वर्णित धाराओं में प्रस्तुत किया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया है।

आरोप विरचित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में उपरोक्त परिस्थितियों में आरोप विरचन को वैधानिक बताया

है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***<u>स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम् सोमनाथ थापा 1996 एस0सी0सी0 (4) 659</u>*** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या केस का बनना देखा जाना है, न कि यह देखा जाना है कि क्या संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं।

आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था अजय अग्रवाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 1993 ए.आई.आर. 1637 पर विश्वास व्यक्त करते हुए बल दिया गया है कि उक्त विधि व्यवस्था में आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्व ारा यह अभिमत दिया गया है कि "It is not necessary that conspirator must know all the details of the scheme nor be a participant as every state. "A conspiracy is a continuing offence and continues to subsist and committed wherever one of the conspirators does an act or series of facts."

विधि व्यवस्था प्रभुनाथ यादव बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2008 (60) एसीसी 59 H.C.D.B. में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि आरोपित पर गम्भीर संदेह है तो भी आरोप विरचित किया जायेगा।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोप विरचन किये जाने के स्तर पर न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करना है अपितु मात्र यह देखना है कि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है अथवा नहीं और यदि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व गम्भीर सन्देह भी हो तो ऐसी स्थिति में भी उसके विरूद्व आरोप विरचन किये जाने के आधार पर्याप्त होते है। इस प्रकरण में अभियुक्त षडयंत्र के अपराध में भी आरोपित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा षडयत्र के अपराध के संदर्भ में स्पष्ट अभिमत देते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि षडयंत्र में सम्मिलित व्यक्ति का सभी तथ्यों का जानना आवश्यक नहीं है और न ही प्रत्येक स्तर पर अपराध के सभी चरणें में सम्मिलित होना ही आवश्यक है।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त सह अभियुक्त नितेश मिश्रा चार्टर्ड एकाउन्टेट का कर्मचारी रहा था और उसके द्वारा शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल से उसकी चारों कम्पनियों से त्याग पत्र और अन्य सम्बन्धित कूट रचित दस्तावेजों को सह अभियुक्त पवन कुमार सिंह से अपने मोबाइल पर वॉटसएप के माध्यम से प्राप्त किया जिसे सह अभियुक्त नितेश मिश्रा द्वारा आरओसी के साइट पर अपने तथा सह अभियुक्त जकी अहमद के डिजीटल सिग्नेचर द्वारा अपलोड किया गया और इन कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से अभियुक्त जकी अहमद व मो0 फारूख द्वारा वादी मुकदमा की उपरोक्त चारों कम्पनियों का पूर्ण स्वामित्व ले लिया गया। आवेदक अभियुक्त अन्य अभियुक्तों के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहा है तथा उसके विरूद्व पर्याप्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है।

ऐसे में उपरोक्त तर्को तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अभियुक्त की आरोपित अपराध में संलिप्तता परिलक्षित होती है, जो कि इस स्तर पर उसके विरूद्व आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

उपरोक्त समग्र विवेचना तथा वर्णित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त महेन्द्र कुमार सिंह द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी– 46 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–13.03.2023

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

Digitally signed by AJAY VIKRAM SINGH
Date: 2023.03.13 16:42:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court